

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी
पत्रांक : ११ / ३७ / वन भूमि स्थानान्तरण / २०२१-२२, रामनगर, दिनांक, जुलाई, ०९, २०२१

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
वन्य जीव, पश्चिमी क्षेत्र,
उ०प्र० कानपुर।

विषय : जनपद-चन्दौली के अर्न्तगत नौगढ़-धनकुंवारीकला से केसार सम्पर्क मार्ग के किमी० ०.०० से २२.८० किमी० तक मार्ग निर्माण में प्रभावित १९.६२ है० आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : उप वन महानिरीक्षक, (केन्द्रीय), पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्र संख्या-८वी/यू०पी०/०६/५८/ २०२१/एफ०सी०/१३९४, दिनांक १०.०३.२०२१ एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० लखनऊ का पत्र संख्या-२३५/११-सी/FP/UP/Road/35291/2018, Dated 12.03.2021 एवं अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड (प्र०प०) लो०नि०वि० चन्दौली का पत्र संख्या-३००/१सी/२१, दिनांक ०७.०७.२०२१

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में जनपद-चन्दौली के अर्न्तगत नौगढ़-धनकुंवारीकला से केसार सम्पर्क मार्ग के किमी० ०.०० से २२.८० किमी० तक मार्ग निर्माण में प्रभावित १९.६२ है० आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु प्रेषित प्रस्ताव संख्या-एफ०पी०/यू०पी०/रोड/३५२९१/२०१८ में उप वन महानिरीक्षक, (केन्द्रीय), पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्र संख्या-८वी/यू०पी०/०६/५८/ २०२१/एफ०सी०/१३९४, दिनांक १०.०३.२०२१ द्वारा ०४ बिन्दुओं पर आपत्ति की गयी है। कार्यालय अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड (प्र०प०) लो०नि०वि० चन्दौली (कार्यदायी संस्था) द्वारा अपने सन्दर्भित के माध्यम से आपत्तियों का निराकरण कर प्रभावित वन भूमि में के०एम०एल० फाइल की सी०डी० सहित प्रेषित किया गया है। अतः आपत्तियों का निराकरण करते हुए आख्या निर्धारित प्रारूप में चार प्रतियों में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(दिनेश सिंह),

प्रभागीय वनाधिकारी,
काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर,
वाराणसी।

पत्रांक : ११ / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० लखनऊ महोदय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड (प्र०प०) लो०नि०वि० चन्दौली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(दिनेश सिंह),

प्रभागीय वनाधिकारी,
काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर,
वाराणसी।

जनपद-चन्दौली के अन्तर्गत नौगढ़-धनकुंवारीकला से केसार सम्पर्क मार्ग के किमी० ०.०० से २२.८० किमी० तक मार्ग निर्माण में प्रभावित १९.६२ है० आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

क्र. सं०	आपत्ति	प्रतिउत्तर
1	2	3
1	No objection certificates of concerned departments (Irrigation etc.) needs to be provided.	मार्ग पर कहीं भी रेलवे/नहर आदि की क्रॉसिंग नहीं है। अतः एन०ओ०सी० की आवश्यकता नहीं है।
2	CA scheme to be as per FCA guidelines to include minimum 1000 plants per ha.	काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी, जनपद चन्दौली के अन्तर्गत 1100 पौध प्रति है० रोपित किये जाने का प्राविधान है। तदनुसार ही प्रस्ताव में प्राविधानित किया गया है।
3	As per provided kml file of proposed route area is 16.56 ha, but as per proposal proposed route area is 19.62 ha, discrepancies of area, these needs rectification.	प्रस्ताव के फार्म-ए के पार्ट-1 के बिन्दु-सी में संलग्न कें०एम०एल० फाईल में बिन्दु-12 से 17 प्रदर्शित नहीं हो रहा है, जबकि बिन्दु-सी-4 में संलग्न जिओरेफ्रेन्सिंग मैप के स्कैन कापी में संरेखण की दूरी लम्बाई प्रदर्शित हो रही है। पुनः कें०एम०एल० फाईल सी०डी० में अपलोड में कर चार प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित है। मार्ग के संरेखण के प्रभावित वन क्षेत्र के क्षेत्रफल की गणना का आंकलन शीट पूर्व प्रेषित प्रस्ताव में संलग्न की गयी है, जिसके समतुल्य गैर वन भूमि पर क्षतिपूर्क वनीकरण हेतु प्रस्तावित किया गया है।
4	As per Google Earth imageries dated 26.05.2019, partially agriculture activity is observed in land proposed for CA, this need clarification and rectification.	घयनित गैर वन भूमि के आशिक भाग पर स्थानीय किसानों द्वारा गेहूँ की फसल लगायी गयी थी। वर्तमान समय में प्रस्तावित गैर वन भूमि किसी भी अवैध कब्जे अथवा अधिभार से मुक्त है।

(दिनेश सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,
काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर,
वाराणसी।